प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.01.2025

थाना निवाडी पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 30.12.2024 को थाना निवाडी पर वादी सुशील कुमार त्यागी पुत्र मूलचन्द त्यागी निवासी ग्राम सौन्दा थाना निवाडी गाजियाबाद की मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध मे ई-एफआईआर अन्तर्गत धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हुई। घटना के सफल अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 31.12.2024 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों 1. समीर पुत्र युसुफ निवासी सौन्दा थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष 2. आसिफा उर्फ महताब पुत्र इकबाल निवासी सौन्दा थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान ने बताया कि हमने कल ही ये मोटरसाइकिल सौंदा में जाहरवीर मंदिर के पास एक मकान के बाहर रास्ते से मौका पाकर चोरी कर ली थी। इस मोटरसाइकिल को हम दोनों आज बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. समीर पुत्र युसुफ निवासी सौन्दा थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।
2. आसिफा उर्फ महताब पुत्र इकबाल निवासी सौन्दा थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना निवाडी पर उपरोक्त वाहन चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.12.2024 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि ओमप्रकाश कॉलोनी निवाडी के एक घर में कुछ लोग प्रलोभन देकर अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराकर माहौल खराब करने का कार्य कर रहे हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना निवाडी पर धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 01.01.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त उमेश पुत्र चन्द्रपाल निवासी गुरूद्वारा रोड मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष को थाना निवाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि हम लोगों को उनके घर जाकर ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार कर तथा प्रलोभन देकर देकर हम धर्म परिवर्तन कराते हैं। दिनांक 21.12.2024 को भी मैंने ओमप्रकाश कॉलोनी निवाडी के एक घर में ईसाई धर्म के संबंध में प्रचार प्रसार कर धर्म परिवर्तन कराने का दबाब बनाया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

उमेश पुत्र चन्द्रपाल निवासी गुरूद्वारा रोड मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना निवाडी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध रुप से संचालित हुक्का बार के संचालक व मैनेजर सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 हुक्का, 05 प्लेट, 05 पाइप व 05 चिलम बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 31.12.2024/01.01.2025 की रात्रि में थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा नव वर्ष पर चेकिंग के दौरान प्लाट संख्या 257,मेवाड़ कॉलेज के सामने वसुन्धरा सैक्टर 02 सी में अवैध रुप से संचालित हुक्का बार के संचालक व मैनेजर सहित 02 अभियुक्त 1. साहिल पुत्र सलीम निवासी गली न0 2 छिजारसी कॉलोनी सेक्टर 63 नोएडा उम्र 21 वर्ष व 2. नमन शुक्ला पुत्र अनिल कुमार शुक्ला निवासी गली न0 2 छिजारसी कॉलोनी सेक्टर 63 नोएडा उम्र 19 वर्ष को 05 हुक्का, 05 प्लेट, 05 पाइप व 05 चिलम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त साहिल पुत्र सलीम व नमन शुक्ला पुत्र अनिल कुमार शुक्ला उपरोक्त विरुद्ध 21/22 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त साहिल पुत्र सलीम व नमन शुक्ला पुत्र अनिल कुमार शुक्ला उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि यह दोनों लोग मिलकर इस हुक्का बार को चलाते है जिसमें यह दोनों लोग ही इसके मालिक/मैनेजर है। नव वर्ष को लेकर इन्होंने अपना हुक्का बार खोला था। जिसका वैध लाइसेन्स मागने पर नही दिखा सके।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. साहिल पुत्र सलीम निवासी गली न0 2 छिजारसी कॉलोनी सेक्टर 63 नोएडा उम्र 21 वर्ष।
2. नमन शुक्ला पुत्र अनिल कुमार शुक्ला निवासी गली न0 2 छिजारसी कॉलोनी सेक्टर 63 नोएडा उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- 05 हुक्का, 05 प्लेट, 05 पाइप व 05 चिलम बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त साहिल पुत्र सलीम व नमन शुक्ला पुत्र अनिल कुमार शुक्ला उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 20.11.2024 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि वादी की पुत्री उम्र करीब 1
वर्ष का दिनांक 18.11.2024 को अपने स्कूल जाने के बाद घर वापस न आना। प्राप्त तहरीर के आधा
पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता क
बरामदगी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बराम
कर मेडिकल परीक्षण एवं धारा 180 BNSS की कार्यवाही की गयी। जिसमें बयानों के आधार पर अभियो
में धारा 65(1)/87 BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टी
गठित की गई।
आज दिनांक 01.01.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त
विशाल पुत्र रामपाल निवासी गढी बसौद थाना सिघावली अहीर जनपद बागपत, उम्र करीब 19 वर्ष क
पैरीफेरल अंडर पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि मैं अपने मामा के यहां रहता था वही मेरी मुलाकात पीडित
से हुई। हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। दिनांक 18.11.2024 को मैं पीडिता को अपने साथ ल
गया था तथा मैंने पीडिता के साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

विशाल पुत्र रामपाल निवासी गढी बसौद थाना सिघावली अहीर जनपद बागपत, उम्र करीब 19 वर्ष।

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा मानव अधिकार न्याय आयोग उत्तर प्रदेश नामक संस्था का फर्जी अध्यक्ष गिरफ्तार

दिनाँक-08/11/2024 को जिलाधिकारी कार्यालय गाजियाबाद से अनस मलिक अध्यक्ष मानव अधिकार न्याय आयोग उत्तर प्रदेश कार्यालय 608 गोमतीनगर लखनऊ निवासी काँठ रोड नगर पंचायत अगवानपुर पुलिस चौकी के पास मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का जनपद-मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड, गाजियाबाद, नोएडा का 02 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम संलग्न कर पुलिस आयुक्त महोदय, जनपद गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रषित किया गया कि अनस उपरोक्त को एस्कॉर्ट, यातायात, सुरक्षा आदि की व्यवस्था समय से कराया जाए। इस पर अनस मलिक व उसके संलग्न भ्रमण कार्यक्रम की जाँच थाना कवि नगर द्वारा की गयी तो ज्ञात हुआ कि अनस मलिक नाम का कोई व्यक्ति मानव अधिकार न्याय आयोग व नीति आयोग उत्तर प्रदेश में नही है तथा लैटरपैड में भ्रमण के दौरान स्टॉफ कार चालक, निजी सचिव व पी0एस0ओ0 के बारे लिखा है ऐसा कोई स्टॉफ नही है और न ही कोई सरकारी वाहन उपरोक्त अनस मलिक को दिया गया है इसके द्वारा अपने लैटरपैड पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट, नीति आयोग व अध्यक्ष मावन अधिकार न्याय आयोग उत्तर प्रदेश का फर्जी लैटरपैड बनाकर उसका असली के रूप मे प्रयोग करके अपने निजी स्वार्थ व धोखाधडी के उद्देश्य से इस प्रकार के स्कॉर्ट / सुरक्षा माँगी जाती रही है और अपने आप को उच्च पद पर आसीन बताते हुए धोखाधडी कर अनुचित लाभ प्राप्त करता है और अपने चारों तरफ पुलिस आदि की सुरक्षा लेकर लोगो को यह दिखाता है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च पद रखता है, इस पर अनस उपरोक्त के विरूद्ध थाना कविनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया जिसके क्रम में आज दिनाँक-01/01/2025 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना कविनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त अनस मलिक उपरोक्त को थाना कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद कार अर्टिगा न0- UP 20CK 0306 अर्टिगा पर आगे व पीछे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है तथा HUMAN RIGHT के लोगो पर अध्यक्ष लिखी हुई प्लेट लगी है तथा अभियुक्त के कब्जे से लैटरपैड, अर्दली का साफा, 02 एडमिट कार्ड आदि बरामद हुए है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त अनस मलिक ने बताया कि वह 10वीं पास है तथा पहले फोर सीलिंग का काम करता था, उसके बाद धीरे-धीरे क्षेत्रीय नेताओं के सम्पर्क में आया और उनकी पुलिस सुरक्षा, एस्कॉर्ट व अन्य सुविधाऐं लेते हुए देख इसके मन में भी ऐसी लाईफ स्टाइल से रहने का विचार आया उसी के तहत इसने मानव अधिकार न्याय आयोग उत्तर प्रदेश (Human Rights Justice Commission Uttar Pradesh State) कार्यालय 608 गोमती नगर लखनऊ व राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक की लाट और उसके नीचे NITI Aayog अनस मलिक अध्यक्ष का लैटरपैड छपवाया तथा मानव अधिकार न्याय आयोग उत्तर प्रदेश अनस मलिक अध्यक्ष की गोल मोहर बनवायी तथा उस पर अपने भ्रमण कार्यक्रम या आन्य कोई कार्य या किसी को कोई लैटर लिखना होता था तो लिखकर उस पर गोल मोहर लगाकर अपने हस्ताक्षर करके मेल कर देता था। लोगो को कोई शक न हो इसके लिए पैड पर निजी सचिव, स्टॉफ कार चालक, पी0एस0ओ0 आदि के भी नाम व नम्बर लिख देता था जो इसके जानने वाले ही होते थे तथा अपने साथ अपने किसी जानने वाले को सफेद कपडे पहनाकर अर्दली का साफा लगवा देता था । इस तरह भोले भाले लोगो मे अपना रौब गाँठ कर उनके जो काम थाने, तहसील या अन्य सरकारी कार्यालयों में होते थे वहाँ के अधिकारियों को अपना फर्जी परिचय मानव अधिकार न्याय आयोग का अध्यक्ष व नीति आयोग का सदस्य बताकर काम करवाता था तथा जिसका काम हो जाता था उससे बाद में अनुचित लाभ लेने लगा। पूर्व में पुलिस विभाग में सिपाही पद की भर्ती निकली थी जिसमें इसके आस-पास के जानने वालों ने भी परीक्षा दी थी इसने उनके बीच यह बात फैलाई की यह उच्च पद पर आसीन है तथा सरकार मे काफी पकड है सिफारिश कर देगा तो नौकरी लग जाएगी कुछ लोगो से उनके प्रवेश पत्र व अन्य कागजात भी ले लिये थे यदि किसी की नौकरी उसकी अपनी मेहनत से लग जाती तो अनस उपरोक्त उससे अनुचित लाभ प्राप्त कर लेता था।

अनस मलिक उपरोक्त के अन्य फर्जी कृत्यों की जानकारी की जा रही है तथा इसके साथ कौन-कौन इसका सहयोगी था उनके बारे में भी गहनता से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.अनस मलिक पुत्र पुत्र मुर्सलीन निवासी ग्राम शाहपुर मुबारकपुर कोकरपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1.मानव अधिकार न्याय आयोग उत्तर प्रदेश का अंग्रेजी में नीति आयोग लिखा व उसके ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट छपे भ्रमण कार्यक्रम के फर्जी लैटरपैड – 02

2.सफेद, लाल व नीले रंग का अर्दली लिखा पीतल का लोगो लगा साफा- 01

3.उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के एडमिट कार्ड- 02

4.हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के अंक पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड अलग-अलग व्यक्तियों के

5.उत्तर प्रदेश सरकार व HUMAN RIGHT के लोगो पर अध्यक्ष लिखी हुई प्लेट लगी अर्टिगा कार रंग सफेद

आपराधिक इतिहासः-

1.अनस मलिक के विरूद्ध गाजियाबाद में 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा कमिश्नरेट गाजियाबाद की सीमा के अन्तर्गत 01 जिला बदर गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण: आज दिनांक 01.01.2025 को थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 जिला बदर अभियुक्त अभिषेक माथुर पुत्र स्व0 विजय माथुर निवासी ए-239 सूर्यनगर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष को रंगोली तिराहा रेलवे पुल चौकी क्षेत्र सूर्यनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक माथुर पुत्र स्व0 विजय माथुर उपरोक्त के विरुद्ध 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक माथुर पुत्र स्व0 विजय माथुर उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के अन्तर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम दिनांकित 16.07.2024 के अनुपालन में दिनांक 26.08.2024 को जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर किया गया था, एवं भलि-भाँति अवगत कराया गया था, कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आप आदेश में लिखित छः माह से पूर्व जनपद गाजियाबाद की सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगे। अभियुक्त अभिषेक माथुर पुत्र स्व0 विजय माथुर उपरोक्त द्वारा न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश का उल्लंघन करने पर के बारे में पूछा तो बताया कि मैं दिन में दिल्ली रहता हूँ, और रात को छुपकर अपने घर सूर्यनगर आ जाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अभिषेक माथुर पुत्र स्व0 विजय माथुर निवासी ए-239 सूर्यनगर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक माथुर पुत्र स्व0 विजय माथुर उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर आगजनी, छेड़खानी व उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम से सम्बन्धित 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण: आज दिनांक 01.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त रुस्तम पुत्र अशोक निवासी न्यू सीमापुरी बीच रोड़ मस्जिद 70 फुटा रोड़ दिल्ली उम्र 20 वर्ष को डीएलएफ ताहिरपुर कट के पास शालीमार गार्डन से चोरी की 01 स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त रुस्तम पुत्र अशोक उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त रुस्तम पुत्र अशोक उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त रुस्तम पुत्र अशोक उपरोक्त के पास से जो स्कूटी बरामद हुई है। वह चोरी की है। जिसे अभियुक्त उपरोक्त द्वारा लगभग 02 महीने पहले बुराड़ी दिल्ली से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता
रुस्तम पुत्र अशोक निवासी न्यू सीमापुरी बीच रोड़ मस्जिद 70 फुटा रोड़ दिल्ली उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार अभियुक्त रुस्तम पुत्र अशोक उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का माल बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग व चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग दिल्ली में पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।